

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम**  
**श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)**

प्रकरण क्रमांक 1920 / 2013

संस्थित दिनांक-12 / 12 / 03

फा.नं. 234503000032003

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड  
 जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोगी

// विरुद्ध //

01. निजामुद्दीन पिता बदरुद्दीन उम्र 35 वर्ष जाति मुसलमान  
निवासी वार्ड नं. 8 कम्पाउण्डर टोला बैहर थाना बैहर,
02. असलम अफरोज खान पिता अब्दुल उम्र 22 वर्ष जाति मुसलमान  
निवासी कम्पाउण्डर टोला बैहर थाना बैहर,
03. किशोर साहनी पिता वासुदेव उम्र 35 वर्ष  
निवासी चालीस क्वाटर मोहगांव थाना मलाजखण्ड,
04. हेमराज पिता एवनसिंह गोंड उम्र 24 वर्ष  
निवासी बंजारीटोला बैहर थाना बैहर,
05. बिसनसिंह पिता मनबोधसिंह गोंड उम्र 32 वर्ष  
निवासी कोयलीखापा थाना गढ़ी,
06. सुदर्शन पिता विश्वनाथ गोंड उम्र 45 वर्ष  
निवासी बंजारीटोला थाना मलाजखण्ड—(फौत)
07. रामप्रसाद पिता नोहरलाल उम्र 22 वर्ष  
निवासी बंजारीटोला थाना मलाजखण्ड,
08. जगदीश पिता रूपचंद उम्र 22 वर्ष जाति मरार  
निवासी मानेगांव थाना भरवेली,
09. गणेशकुमार पिता वासुदेव कावड़े उम्र.....वर्ष जाति कलार  
निवासी भरवेली थाना भरवेली,
10. रविशंकर पिता महेश परते उम्र 23 वर्ष जाति गोंड  
निवासी मानेगांव थाना भरवेली सभी जिला बालाघाट म.प्र.

.....आरोपीगण

**::निर्णय::****{ दिनांक 05 / 07 / 2017 को घोषित }**

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-457, 379/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20/08/2003 से दिनांक 22/08/2003 की दरमियानी रात हिन्दुस्तान कॉपर माइंस स्क्वेपयार्ड मलाजखण्ड में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व मलाजखण्ड ताम्र परियोजना के आधिपत्य के स्क्वेपयार्ड जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयोग में आता है, चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार कारित किया तथा

अन्य सह अभिक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मलाजखण्ड ताम्र परियोजना की संपत्ति बेईमानीपूर्वक सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को रात्रि गस्त भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि बंजारीटोला के कांजी हाउस के पास मेटाडोर क्रमांक एम.एच.38-डब्ल्यू 8647 में भरा हुआ लोहा मटेरियल बालाघाट ले जाने की तैयारी है। कार्यवाही के दौरान आरोपीगण मेटाडोर में बैठे मिले जिन्होंने लोहा मटेरियल मलाजखण्ड माईंस का होना बताया तथा धारा 51 द.प्र.सं. के तहत प्राप्त नोटिस के उत्तर में माल खरीदी का कोई कागज पेश नहीं किया। जिससे आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पाये जाने पर मेटाडोर जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। जांच में लगभग 08 टन वजनी माल हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का होना पाया गया एवं माल से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी चंद्रभान चौर मलाजखण्ड द्वारा दर्ज करायी गयी। आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. प्रकरण में अभियुक्त सुदर्शन की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रकरण का उपशमन कर दिया गया है तथा अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वे निर्दोष है तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 20/08/2003 से दिनांक 22/08/2003 की दरमियानी रात हिन्दुस्तान कॉपर माईंस स्क्वेपयार्ड खण्ड में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व मलाजखण्ड ताम्र परियोजना के आधिपत्य के स्क्वेपयार्ड जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयोग में आता है, चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार कारित किया ?

(2) क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर अन्य सह अभिक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मलाजखण्ड ताम्र परियोजना की संपत्ति बेईमानीपूर्वक सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की ?

### ::सकारण निष्कर्ष::

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. आर.के.वर्मा (अ.सा.1) का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है तथा घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग पांच वर्ष पूर्व मलाजखण्ड ताम्र

परियोजना में डिप्टी मैनेजर के पद पर पदस्थापना के दौरान की है। घटना दिनांक को सुरक्षा अधिकारी अवकाश पर थे। इसी दौरान सिक्यूरिटी सुपरवाइजर चंद्रभान चौरे द्वारा थाना प्रभारी मलाजखण्ड को दिनांक 20.08.03, 22.08.03 को स्क्रेप के सामान चोरी हो जाने के संबंध में लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 की थी, जो उसने अग्रेषित की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया है कि वह ड्रायवर के साथ बंजारीटोला गया था और मेटाडोर एम.ए.31/उब्ल्यू-8647 के अंदर रखे हिन्दुस्तान कॉपर मलाजखण्ड लिचिंग प्लांट के अंदर तार फैंसिंग के अंदर सुरक्षा में बाहर खुले स्थान जो प्रतिबंधित क्षेत्र में लोहा मेटाडोर के रखी थी और सी.के.घोष मटेरियल मैनेजर ने मेटाडोर के अंदर रखे लोहे के सामान को चैक करना बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सभी सामान पाईप, लोहे पाटर्स, कलपुर्जे, स्क्रेप माइन्स कॉपर हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का है। साक्षी के अनुसार चोरी के संबंध में उसे फोन आया था, तब उसने रिपोर्ट प्र.पी.01 अग्रेषित की थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह मौके पर नहीं गया था। साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.02 के ए से ए भाग के कथन देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट प्र.पी.01 अग्रेषित की थी, उसमें चोरों के नाम लेखबद्ध नहीं है।

6. चंद्रभान चौरे (अ.सा.02) का कथन है कि वह वर्ष 2003 में मलाजखण्ड ताम्र परियोजना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा उसी समय आर.के.वर्मा वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 20.10.03 को मलाजखण्ड हिन्दुस्तान कॉपर के स्क्रेपयार्ड के सामान चोरी हो जाने के बाबत आर.के.वर्मा द्वारा थाना प्रभारी मलाजखण्ड के नाम से लिखित शिकायत प्र.पी.01 थाना मलाजखण्ड में पेश करने हेतु उसे दी थी, जिसे दिनांक 21.10.03 को उसने थाना मलाजखण्ड में पेश किया था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 02 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त चोरी के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। उसे मालूम नहीं है कि चोरी किसके द्वारा की गई थी। उसने प्र.पी.01 को पढ़कर नहीं देखा था। उसने प्र.पी.01 की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में पेश किया था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.01 की रिपोर्ट उसके वरिष्ठ अधिकारी के देने पर पेश किया था, उसमें क्या लिखा था उसे नहीं मालूम।

7. साक्षी अजय सिंह(अ.सा.03) का कथन है कि वह आरोपीगण निजामुद्दीन और सुदर्शन को छोड़कर अन्य आरोपीगण को नहीं जानता है। वर्ष 2003 में वह थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और प्रधान आरक्षक सुखराम और मुकेश के साथ गस्ती के दौरान प्रधान आरक्षक सुखराम को किसी से सूचना मिली थी कि लोहे का सामान अवैध रूप से बंजारीटोला में लोड हो रहा है, जिस पर तीनों घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि गाड़ी लोड हो चुकी थी। गाड़ी लोड करते हुए बहुत सारे लोग थे, जिनमें से वह केवल निजामुद्दीन और सुदर्शन को जानता है, जिसके बाद माल तथा मुजरिम दोनों को थाने ले गये

थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि जब वे मौके पर गये थे, तो वहाँ पर करीब 10-11 लोग थे। निजामुद्दीन मलाजखंड का क्षेत्र का निवासी है, इसलिये वह उसे जानता है। उसने कबाड़ी का सामान लोड होते हुये देखा था। उक्त सामान को थाने पर लाकर आरोपी के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये उसे नहीं मालूम। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था। वह आज पहचान करके नहीं बता सकता कि उस समय घटना के दौरान कौन-कौन लोग थे। बिसनसिंह नाम के आदमी को ना तो पूर्व में ना ही वर्तमान में वह पहचानता है।

8. मुकेश पुरी (अ.सा.04) का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है तथा वर्ष 2003 में मलाजखण्ड में वह आरक्षक के पद पर पदस्थ था। रात्रि के समय प्रधान आरक्षक सुखराम को सूचना मिली थी कि लोहे का सामान कहीं अवैध रूप से लोड किया जा रहा है, जिसके बाद वह अजय तथा सुखराम के साथ मौके पर गया था। मौके पर उन्होंने पाया कि आरोपीगण ट्रक में माल लोड कर रहे थे, जिसके बाद माल और मुजरिम को पकड़कर थाना ले आये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसके समक्ष जप्ती तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही पुलिस ने उसके बयान लिये थे। साक्षी के अनुसार वह गस्त में गया था, शेष कार्यवाही सुखराम ने की थी। वह आज नहीं बता सकता कि मौके पर कितने लोग उपस्थित थे तथा यदि आरोपी बिसन को पहचानने के लिये खड़ा किया जाये तो वह उसे नहीं पहचान पायेगा। आरोपीगण कहाँ का लोहा लोड कर रहे थे, कहाँ से लाये थे और उसे कहाँ ले जा रहे थे, उसे जानकारी नहीं है।

9. सखाराम (अ.सा.05) का कथन है कि दिनांक 21.10.03 को थाना मलाजखण्ड में पदस्थापना के दौरान प्रार्थी चंद्रभान चौरे ने लिखित आवेदन पत्र हिन्दुस्तान कॉपर मलाजखण्ड से स्क्रेपयार्ड का सामान चोरी किये जाने बाबत पेश किया था, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 96/03 अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 22.08.03 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 595, 212 के साथ बंजारीटोला में कांजीहाउस के पास 709 मेटाडोर क्रमांक एम.एच. 31/डब्ल्यू-8647 में भरा हुआ लोहे का मटेरियल, पाईप, प्लेट था। आरोपी निजामुद्दीन, अरसद, अफरोज, हेमराज, रामप्रसाद, सुदर्शन, बिसन, जगदीश, गणेशकुमार, रविशंकर को धारा 41, 104 दं.प्र.सं. 379 भा.दं.0सं.0 में हिरासत में लेकर साक्षी डी. आचार्य, सी.के.घोष के समक्ष आरोपीगण निजामुद्दीन के मैमोरेण्डम कथन लेख किये थे, जिसमें आरोपी निजामुद्दीन द्वारा सभी आरोपीगण का नाम लेकर हिन्दुस्तान कॉपर से बिखरा लोहे की मशीनों के पार्ट्स तथा अन्य सामग्री चुराकर मेटाडोर में लदा होने तथा चलकर बरामद करा देना बताया था। उक्त मैमोरेण्डम प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मैमोरेण्डम कथन के आधार पर जप्ती पत्रक प्र.पी.07 के अनुसार गवाहों के समक्ष आरोपी निजामुद्दीन से संपत्ति जप्त की गई। दिनांक 22.08.03 को गवाह सी. के. घोष, धर्मेन्द्र आचार्य तथा आर.के.वर्मा के कथन उनके बताये अनुसार लेख



किये गये थे। उक्त दिनांक को ही आरोपीगण निजामुद्दीन, अरसद, अफरोज, हेमराज, रामप्रसाद, सुदर्शन, बिसन, जगदीश, गणेशकुमार तथा रविशंकर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 लगायत प्र.पी.17 गवाहों के समक्ष तैयार किया गया था। समस्त कार्यवाही के पश्चात केस जायरी थाना प्रभारी के सुपुर्द की गई। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रकरण में उसके द्वारा मौकानक्शा की कार्यवाही नहीं की गयी थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसने थाने पर बैठकर जप्ती एवं मेमोरेन्डम की कार्यवाही की थी तथा गवाहों के बयान अपने मन से लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने उक्त सुझाव को भी अस्वीकार किया कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

10. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अपराध हेतु सर्वप्रथम यह सिद्ध करना आवश्यक है कि परिवादी के आधिपत्य से कथित सामग्री की चोरी हुई। अभियोजन साक्ष्य की सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर यह दर्शित है कि संपूर्ण प्रकरण में कहीं भी यह दर्शित नहीं किया गया है कि वास्तव में परिवादी कंपनी के आधिपत्य से कथित सामग्री की चोरी हुई। साक्षी आर0के0 वर्मा अ.सा.01 ने अपने परीक्षण में मात्र प्र.पी.01 की रिपोर्ट अग्रेषित करने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर केवल फोन पर जानकारी दिये जाने तथा उक्त आधार पर ही प्र.पी.01 की रिपोर्ट अग्रेषित करने के कथन किये हैं। परिवादी कंपनी के अन्य कर्मचारी तत्कालीन सुरक्षा निरीक्षक चंद्रभान चौरे अ.सा.02 ने भी मात्र प्र.पी.01 की रिपोर्ट को थाने में पेश करने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे चोरी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा प्र.पी.01 की सत्यता के संबंध में भी उसे ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में चोरी होना ही दर्शित नहीं है।

11. विवेचक साक्षी के सहयोगी अन्य दोनों साक्षियों अजय सिंह बैस अ.सा.03 तथा मुकेश पुरी अ.सा.04 ने घटना के समय आरोपीगण द्वारा ट्रक में लोहे का कबाड़ लोड करने के कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर कथित चोरी की उपधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि बरामद सामग्री की पुलिस द्वारा कोई शिनाख्त दर्शित नहीं है कि उक्त सामग्री परिवादी कंपनी की थी। अभियोजन कहानी के अनुसार गश्ती के दौरान दिनांक 22.08.2003 को अभियुक्तगण से सामग्री जप्त की गई। तत्पश्चात् करीब दो माह पश्चात घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 लेख की गई, जिस संबंध में भी कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। कथित सामग्री केवल अभियुक्त निजामुद्दीन के आधिपत्य से जप्त होना दर्शित किया गया है, जो कि प्रमाणित नहीं है। अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण में कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचासाम्ना भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे बरामदगी के संबंध में अभियोजन कहानी को बल मिलता। प्रथमदृष्टया परिवादी कंपनी के आधिपत्य से चोरी होना दर्शित नहीं है। तत्पश्चात् अभियुक्तगण से

कथित सामग्री की जप्ती भी प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है, जिससे अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक को सूर्यास्त के पश्चात व सूर्यास्त के पूर्व परिवादी कंपनी में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कर कथित सामग्री को परिवादी कंपनी के आधिपत्य से हटाकर चोरी की। अतः अभियुक्तगण निजामुद्दीन, अरसद, अफरोज, हेमराज, रामप्रसाद, सुदर्शन, बिसन, जगदीश, गणेशकुमार, रविशंकर को भा.दं०सं० की धारा-457, 379/34 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लोहे की सामग्री तथा मेटाडोर क्रमांक एम.एच.38—डब्ल्यू 8647 आवेदक/सुपुर्ददार सी०बी० चौरे एवं वाहन स्वामी को सुपुर्दनामा पर दी गई है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात सुपुर्दगीदार के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

14. अभियुक्तगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहे है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु  
(शासकीय / विधिक उपयोग)